International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume V, Issue III, October 2018 Available online at: www.ijaur.com

"म.प्र. में महिला उद्यमियों हेतु निर्धारित प्राथमिकताएँ"

डॉ.विकास कुमार मिश्र
राजनीति शास्त्र विभाग
शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश– केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न से बचाने हेतु समाज के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक संसाधनों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के उत्पादन एवं प्रजनक श्रम को समाज में समान महत्व प्रदान करने तथा पारिवारिक एवं सामाजिक सम्पत्तियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक कानूनों एवं नियमों को बनाया है, जिससे महिलायें शक्ति सम्पन्न व सामर्थवान बनकर सामाजिक, आर्थक एवं राजनीतिक विकास कार्यों में सहभागी बनें।

मुख्य शब्द – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक।

प्रस्तावना–

महिलाओं में उद्यमिता विकास हेतु मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र ने पिछले कई वर्षों में कई विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये हैं। इसके साथ ही अन्य संचार माध्यमों से भी महिला उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र में एक तरफ जहाँ केन्द्रीय स्तर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय महिला कोष आदि संस्थायें कार्य कर रही हैं। वहीं राज्य स्तर पर महिला आर्थिक विकास निगम, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद् महिला बाल विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग कार्य कर रहे हैं। जिला उद्योग कार्यालय प्रधानमंत्री रोजगार में केन्द्र सरकार की तरफ से नोडल एजेन्सी के रूप मे कार्य कर रहा है, साथ ही अन्य उद्योग कार्यक्रमों को भी संचालित कर रहा है।

विश्लेषण–

महिलायें कृषि एवं हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित सभी लघु उद्योगों में आधारशिला का काम करती हैं, फिर भी उपेक्षित जीवन जीने के लिये मजबूर है। विकास कार्यक्रमों के संचालन में भी आरंभ के दशकों में महिलाओं के साथ उचित न्याय नहीं हो सका। इस असंतुलन को दूर करने के लिए ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित सभी घटकों जैसे–हथकरघा संचालनालय, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, मध्यप्रदेश पावरलूम सहकारी संघ, राज्य बुनकर सहकारी संघ, मध्यप्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम को इस प्रकार कार्य करने को कहा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के समान लाभ प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित नीतियों को क्रियान्वित किये जाने का निश्चय किया गया है –

1. महिलाओं को ग्रामोद्योग के क्षेत्र में चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लाभ उनकी संख्या के अनुसार पहुंच पा रहा है या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु सभी कार्यक्रमों के आकड़े लिंगानुसार रखने का निश्चय किया गया। वर्ष 1996–97 से इसे लागू कर दिया गया है।
2. ग्रामोद्योग क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि महिलाओं की भागीदारी उनमें कम से कम 50 प्रतिशत तक अवश्य हो। इसे भी 1996–97 से लागू कर दिया गया है।
3. सभी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
4. ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिये तैयार की जा रही कर्मशाला इस तरह तैयार की जायेगी कि महिला उत्पादकों को अलग से शौचालय की सुविधा हो तथा उनके बच्चों के लिये झूलाघर आदि की व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य अशासकीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की जायेगी।
5. महिला उद्यमियों को ग्रामोद्योग विभाग के सभी घटकों से अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसके लिये कार्यक्षेत्र तथा मुख्यालय में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जायेगा कि वे अपने कार्यक्रमों को इस प्रकार चलायें कि महिला पुरुष लिंगानुसार सभी आंकड़े सुविधापूर्वक उपलब्ध हो कार्यक्रमों में दोनों की भागीदारी समान रूप से हों। इस तरह की स्ववस्था अन्य प्रकार के चलाये जाने वाले प्रशिक्षणो में भी लागू होगी।
6. ऐसी सभी कार्यशालाओं में जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है। कार्यशाला का समय महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे स्वरोजगार से संबंधित अधिकांश गतिविधियां उनके अपने घरों या उसके आस – पास संचालित हों।

7. ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि प्रत्येक तीन मास के अन्तराल पर ग्रामोद्योग से जुड़ी महिला उद्यमियों की कार्यशाला जिलास्तर पर आयोजित की जाये। इस योजना के प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का होगा।
8. राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन द्वारा (नावार्ड) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य बैंकों से सहयोग करके महिला उद्यमियों को ऋण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। जहाँ पर महिला बड़ी संख्या में ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं ऐसे स्थानों पर राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन, महिला आर्थिक विकास उद्यमियों के स्वयं के बचत समूहों की स्थापना का प्रयास किया जायेगा, इसके लिये उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय किये जायेंगे।
9. महिला उद्यमियों के उद्यम के क्षेत्र में प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान करने के लिये विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार के शिविर प्रदेश के विभिन्न भागों में राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन द्वारा आयोजित किये जायेगें।
10. केन्द्र सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु लघु उद्योग के क्षेत्र में संचालित प्रबंधकीय प्रशिक्षण शिविरों का राज्य सरकार अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करेगी। इस क्षेत्र में विशेष पहल का कार्य राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन करेगा।
11. जबलपुर में स्थित लिज्जत पापड़ उद्योग के मॉडल के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खाद्य पदार्थ के आधुनिक रूप से तैयार की जाने वाली विधि से संबंधित इकाईयां स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा जिसमें महिलाओं एवं उनकी संस्थाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से होगी।
12. महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये अशासकीय संस्थाओं एवं महिला समूहों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
13. पंचायती राज्य व्यवस्था में महिला जन प्रतिनिधियों हेतु ऐसी कार्यशाला या प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। जिससे वे ग्रामोद्योग के महत्व से परिचित हो सके, उन्हें ग्रामोद्योग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में परिचित कराया जायेगा जिससे वे अपने – अपने क्षेत्रों में महिलाओं को ग्रामोद्योग, व्यवसाय तथा अन्य उत्पादक कार्यों से जोड़ सके।

महिला उद्यमिता के विकास में बहुत सी स्वयं सेवी संस्थायें भी कार्यरत हैं, जैसे मध्यप्रदेश में श्री गौड़ महिला संगठन इन्दौर में सोफिया हैण्डी क्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूट इन्दौर, प्रेमादेवी सिलाई सेन्टर भोपाल, मध्यप्रदेश महिला कल्याण समिति भोपाल, मध्यप्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी महिला समितियों कई तरह के कार्यक्रम चला रहीं हैं।

निष्कर्ष–

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों एवं व्यवसाय के क्षेत्र में मुख्य रूप से सहायता प्रदान करने वाले कुछ विभाग निम्न हैं – मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम, मध्यप्रदेश वित्त निगम, मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश विद्युत विभाग राष्ट्रीय उद्योग निगम, मध्यप्रदेश अर्न्तयावसायी विकास निगम, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण केन्द्र लघु उद्योग सेवा संस्थान, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उपरोक्त सभी संस्थायें लघु उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने वालों को उपयुक्त जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराते हैं।

संदर्भ –

1. Agrawal, Bina (1974) : A Field of one's own Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge University Press, Cambridge.
2. Celine, Rani (1992) : Emaging pattern of Rural women in India, Radha Publication New Delhi.
3. Desai N & Usha Thakkar (2003) : Women inIndia Society National Book Trust, New Delhi.
4. Ghosh, Bhola Nath (2002) Rural Women Leadership Mohit Publication New Delhi.
5. Kaushik shushila (1993) : Women and Panchayati Raj, Har – Anand Publication, New Delhi.
6. Mehta, S.R. (1970) : The western educated Hindu women, Asia publising house, Bombay.
7. Panchandikar, K.C. & JN Panchandikar (1967) : Domestic structure and adjustment in Panchayati Raj Bodies, Ed. George, J. Readings on Panchayati Raj in India National Instilute of Community Development Hyderabad.
8. Qudeer, Imrana (1999) : Women and family welfare Ed.-Biduyt mohanti, women and political empowerment.
9. Sinha, Niroj (2000) : Women in Indian Politics Gyan Publishing House, New Delhi.
10. Sriniwas, M.N. (1996) : Social change in modern India university of California press.